परिपत्र संख्या 08/2018

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांक : एफ–7(39)जन/2017–18/11705 दिनांक : 17/07/18

–:: परिपत्र ::–

विषय : उपहार विलेख के अवमूल्यांकन तथा रियायती मुद्रांक कर का लाभ दिये जाने के कारण मुद्रांक कर तथा पंजीयन शुल्क का कम आरोपण।

प्रायः यह देखा गया है कि उप पंजीयकगण द्वारा उपहार विलेखों पर निर्धारित दरों से गणना नहीं कर गलत दरों से गणना की जा रही है। जिसके कारण से आडिट के दौरान कई आक्षेप गठित किये जा रहे है।

उपहार पत्र पर राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल–31 के अनुसार उपहार के लेख्यपत्र पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर, कन्वेन्स की दर से प्रभार्य होगा। राज्य सरकार ने अधिसूचना कमांक एफ.12(11)वित/कर/2013–116 दिनांक 06.03.2013 से (जिसकी प्रति संलग्न है) में रिश्तों में परिभाषित करते हुए अचल सम्पत्ति के उपहार विलेखों पर मुद्रांक कर की दर में रियायत दी गई है।

उक्त अधिसूचना में दर्शाये गये रिश्तों में ही छूट प्रदान की जावें। पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेज का अध्ययन कर नियमानुसार छूट की श्रेणी में आता हो तो ही छूट प्रदान की जावें। जिससे अनावश्यक आक्षेपों का गठन न हो। भविष्य में यदि इस संबंध में आक्षेप गठित होता है तो पंजीयन अधिकारी/पंजीयन लिपिक के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। अतः सतर्कतापूर्वक कार्य करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(श्याम लाल गुर्जर) 17-7-18
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांक : एफ–7(39)जन/2017–18/11706-12305 दिनांक : 17/07/18

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित (कर) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कार्यालय महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर–302005
3. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर।
4. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान।
5. समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।
6. उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन) मुख्यालय अजमेर।
7. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर।
8. वितीय सलाहकार, मुख्यालय अजमेर।
9. संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी मुख्यालय अजमेर।
10. निजी सचिव, महानिरीक्षक/निजी सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक।
11. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय अजमेर।

महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, 06 मार्च, 2013

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.12(25)एफडी/टैक्स/11-154, दिनांक 09.3.2011 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा यह आदेश देती है कि,-

(i) पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पुत्र के पुत्र, पुत्री के पुत्र, पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के 2.5 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा;

(ii) पत्नी या पुत्री के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और संपत्ति के बाजार मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर या एक लाख रुपये, इसमें से जो भी कम हो, प्रभारित किया जायेगा; और

(iii) विधवा के पक्ष में,-
(क) उसके मृत पति की माता, पिता, भाई या बहिन; या
(ख) स्वयं की माता, पिता, भाई, बहिन या पुत्र या पुत्री

के द्वारा निष्पादित स्थावर संपत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट दी जायेगी।

[एफ.12(11)वित्त/कर/2013-116]
राज्यपाल के आदेश से,

आदित्य पारीक,
शासन उप सचिव